

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक-1954/484/आउशि/शाखा-2/10
प्रति,

भोपाल, दिनांक-27/07/2010

- 1- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,
(मध्य प्रदेश)
- 2- प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
(मध्य प्रदेश)


विषय:- शैक्षणिक सत्र 2010-11 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों पर अतिथि विद्वानों से अध्यापन व्यवस्था के निर्देशों में का स्पष्टीकरण ;

संदर्भ:- कार्यालय पत्र क्रमांक 1950/484/आउशि/शा-2/10 दिनांक 27.07.10।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र में शैक्षणिक सत्र 2010-11 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों पर अतिथि विद्वान से अध्यापन व्यवस्था के निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-


- (1) आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा पूर्व में प्रसारित विज्ञापन क्रमांक 1579/484/आउशि/शा-2/10 दिनांक 25.06.10 एवं उसकी चयन प्रक्रिया उपरांत प्राप्त वरीयता सूची यथावत् रहेगी। यह केवल उन पदों एवं विषयों पर लागू होगा जिनकी रिक्तियों पूर्व विज्ञापन की तिथि निकलने के बाद उद्भूत हुई है।
- (2) यह विज्ञापन उन पदों के लिए लागू होगा जिनकी रिक्तियों पूर्व विज्ञापन क्रमांक 1579/484/आउशि/शा-2/10 दिनांक 25.06.10 में जारी होने के उपरांत उद्भूत हुई है।


(राजीव रंजन)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

पृ० क्रमांक 1955/484/आउशि/शाखा-2/10
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक-27/07/2010

- 1- माननीय मंत्री उच्च शिक्षा के निज सहायक मध्य प्रदेश शासन भोपाल।
- 2- महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
- 3- प्रमुख मुख्य सचिव, म० प्र० शासन उच्च शिक्षा विभाग।
- 4- समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश।
- 5- समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
- 6- समस्त अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति, समस्त शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 7- उपसचिव, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विठ्ठन मार्केट, भोपाल।
- 8- समस्त अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश।
- 9- समस्त कोषालय एवं उपकोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश
.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(राजीव रंजन)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश